



IN-UP02277902973364V

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

*Chandra Shekhar*  
Secretary, State e-Stamping Centre, UP  
Address No. 279, Tansen & Co. Road, Jorhat, Lucknow

Certificate No.	: IN-UP02277902973364V
Certificate Issue Date	: 31-Aug-2023 07:49 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/UP147818DM/LUCKNOW SADAR/UP-LKN
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP147818DM00107657568686V
Purchased by	: ISHAN SEWA TRUST
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	: 100
First Party	: ISHAN SEWA TRUST
Second Party	: Not Applicable
Stamp Duty Paid By	: ISHAN SEWA TRUST
Stamp Duty Amount (Rs.)	: 100 (One Hundred only)



Please verify on <http://www.upts.gov.in>



SWORN & VERIFIED  
BEFORE ME

*ISHAN*

*Kartikaj Kumar Singh*

Notary  
LUCKNOW & SADAR

DU

Disclaimer

This is a non-judicial e-stamp certificate issued by the State e-Stamping Centre, Lucknow & Sadar, Lucknow. It is not a stamp of any court or authority. The State e-Stamping Centre, Lucknow & Sadar, Lucknow is not responsible for any loss or damage caused by the use of this e-stamp certificate. The State e-Stamping Centre, Lucknow & Sadar, Lucknow is not responsible for any loss or damage caused by the use of this e-stamp certificate.

Vertical text on the left edge of the page, likely a document ID or tracking number.

Vertical text on the right edge of the page, likely a document ID or tracking number.

(प्रारूप--'अ')

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र।

इन श्रीमती शशी यादव एवं अभिषेक कृष्ण कमरा: अध्यक्ष एवं सचिव ईशान सेना ट्रस्ट विकान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी ट्रस्ट द्वारा शशी इस्टीट्यूट ऑफ फार्मासिउटिकल साइंस एण्ड रिसर्च, इमामपुर, खुटहन, जौनपुर नाम डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी ट्रस्ट के नाम ग्राम-इमामपुर, खुटहन, जौनपुर में गाटा रॉड-123, 165, 140 एवं 127 क, रकबा कमरा 0.505 एवं 0.405 हे० (कुल रकबा 0.910 हेक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि को गाटा रॉड-123, 165, 140 एवं 127 क, रकबा कमरा 0.505 एवं 0.405 हे० (कुल रकबा 0.910 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव ट्रस्ट की बैठक दिनांक 02.12.2020 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्से के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उत्त पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

  
Shashi Yadav  
Secretary

8. यह कि, इस संस्था में फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, तत्काल लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अतिरिक्त होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटस्थित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी को गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

ह० सचिव

Dr. Mohishet

Dr. H. Anand

M. ISHAN DEWA TRUST

SUCCESSOR

CHAIRMAN

Dr. Mohishet

Secretary